रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 303] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 23, 2016/अश्विन 1, 1938
No. 303] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 23, 2016/ASVINA 1, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2016

सं. 33/2015-20

विषय:- एफटीपी 2015-20 के पैरा 5.02(ख) के तहत एक सामान्य सेवा प्रदायक (सीएसपी) को नामित/प्रमाणित करने के लिए दिशा-निर्देशों को शामिल करने के लिए एएनएफ-5क (ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र को जारी करने के लिए आवेदन-पत्र) में संशोधन।

फा.सं. 18/03/एएम-17/पीसी-5.—विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैराग्राफ 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार, एफटीपी 2015-20 के पैरा 5.02(ख) के तहत एक सामान्य सेवा प्रदायक को नामित/प्रमाणित करने के लिए दिशा-निर्देशों को एतदद्वारा तत्काल प्रभाव से अधिसूचित करते हैं।

विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.02(ख) के अनुसार सीएसपी को नामित/प्रमाणित करने के लिए दिशा-निर्देशों को अधिसूचित किया जाता है। तदुनसार, एएनएफ 5क के दिशा-निर्देशों के तहत क्र.सं.4 में एक नए पैराग्राफ को शामिल किया जाता है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:-

"4 विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 5.02 (ख) के तहत सीएसपी को नामित/प्रमाणित करने के लिए दिशा-निर्देश।

नामित/प्रमाणित करने वाले प्राधिकरण के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:-

क. आईईसी

ख. आरसीएमसी

ग. प्रदान की जाने वाली सामान्य सेवा (संक्षेप में)

घ. न्यूनतम छः संभावित उपयोगकर्ताओं की सूची (नाम और आईईसी)

ड. टीईई का नाम जहां पर आवेदन यूनिट स्थित है

च. सेवा प्रदान किए जाने के लिए उत्पाद श्रेणी

छ. यूनिट को निर्यात से पहले संबद्ध अप्रत्यक्ष कर प्राधिकारियों के पास विधिवत रूप से पंजीकृत होना चाहिए।"

इस अधिसूचना का प्रभाव:- एफटीपी 2015-20 के आयात निर्यात प्रपत्र के एएनएफ 5क को एफटीपी 2015-20 के पैरा 5.02(ख) के तहत निर्यात उत्कृष्टता के शहर में डीजीएफटी, वाणिज्य विभाग अथवा राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम द्वारा एक सामान्य सेवा प्रदायक को नामित/प्रमाणित करने हेतु दिशा-निर्देशों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है।

अनूप वधावन, महानिदेशक विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 23rd September, 2016

No. 33/2015-2020

Subject: Amendment in ANF-5A [Application for issue of EPCG Authorisation] **incorporating the guidelines for designating/certifying a Common Service Provider (CSP) under Para 5.02 (b) of FTP 2015-20 – reg.**

F. No. 18/03/AM-17/PC-5 .— In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Director General of Foreign Trade hereby notifies the guidelines for designating/certifying a Common Service Provider under Para 5.02 (b) of FTP 2015-20 with immediate effect.

Guidelines for designating/certifying a CSP as per Para 5.02(b) of FTP are being notified. Accordingly, a new Paragraph at Sl. No. 4 under the guidelines of ANF 5 A is inserted which shall read as under:

"4. Guidelines for designating/certifying of CSP under Para 5.02(b) of FTP 2015-20

The designating/certifying authority should call for the following documents:-

a. IEC
b. RCMC
c. Common service to be provided (in brief)
d. List of minimum six potential users (Name and IEC)
e. Name of the TEE where the applicant unit is located
f. Product category to be serviced
g. The unit should be duly registered with relevant indirect tax authorities prior to export."

Effect of the Public Notice: ANF 5A of Aayat Niryat Forms of FTP 2015-20 has been amended to include guidelines for designating/certifying a Common Service Provider by DGFT, Department of Commerce or State Industrial Infrastructure Corporation in a Town of Export Excellence under Para 5.02 (b) FTP 2015-20.

ANUP WADHAWAN, Director General of Foreign Trade

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.09.27 08:56:48 +05'30'